

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 31-03-2021

आज दिनांक 31.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौरस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- जीतू बेलदार पुत्र सम्हारु निवासी बैजनाथपुर 2- दिनेश राजभर पुत्र धुपई निवासी औराड़ाड थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 10-10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 152 / 2021 व 153/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण –

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी टीम का विवरण –

उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 लाल बिहारी निषाद, हे0का0 अखिलेश सिंह, का0 सतीश कुमार, का0 शिवम गुप्ता, का0 रघुवंश प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1493 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1493 को थाना बखिरा क्षेत्रान्तर्गत पकरिया से इवेन्ट संख्या 15898 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 08 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस वाहन से सीएचसी में हदावल पहुंचाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बची गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 इन्द्रजीत यादव, आरक्षी पुर्षोत्तम राय, हो0चा0 महेन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 40 वाहनो से 29500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 40 वाहनो से 29500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।